

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपरोक्त डॉक्टर उपरोक्त प्रकार अनिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है
 जब इस दुरस्ती को करने हेतु सहजता लिखित नै/वी गयी है। जब तहसीलदार द्वारा भी सहजता प्रस्तुत की गई है। उक्त
 दुरस्ती कस्तूर लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अतः इन्दाज दुरस्ती परस्पर सहमति से किसे जाने हेतु
 प्रमाणों में प्रार्थना की है तथा अनिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती सामान्य अनिलेख में होने योग्य है। अतः
 अनिलेखित इन्दाज दुरस्ती किसे जाने से आदेश दिये जाते हैं।

पूर्व इन्दाज			स्वीकृत किया गया इन्दाज			
क्र.	खतियार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खतियार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
112	हीरा लाल पुत्र रामेश्वर लाल जगि-जाट लाल लाल डेह	1114 1076	2.03	हीराराम पुत्र रामेश्वर लाल जगि-जाट लाल डेह	1114 1076	2.03

क्रमांक :- 206
12.10.21

प्रतिनिधि पालनार्थ :-

1. उय तहसीलदार, मौलासर

[Signature]
 शिविष प्रमारी
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
 PCKSA-2021, पं.स. मौलासर
 दिनांक :-

[Signature]
 शिविष प्रमारी
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
 दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिनिधि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उय तहसीलदार, मौलासर